समूह I- अनुमोदन एवं अनुशंसा वांछित मदें

एसी:10:01	**अध्यक्ष द्वारा सदन को व्यवस्थित घोषित किया जाना**

कार्यवृत्त:

10.1.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन को व्यवस्थित घोषित किया।

एसी:10:02	**मृत्यु-सूचना संदर्भ**

[***कार्यसूची टिप्पणी:***

10.2.1 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना गहरे शोक के साथ सदन में प्रस्तुत किया गया:

1) स्व. श्री एमके गुरुङ, उप निदेशक, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार

कार्यवृत्त:

10.2.1 सदन ने कार्यसूची पर विचार किया। दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान के रूप में सदन ने दो मिनट का मौन धारण किया।

एसी:10:03	कुलपति द्वारा कार्यनिष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त:

10.3.1 कुलपति ने दिनांक 20.08.2011 को पूर्वाह्न चिंतन भवन में आयोजित शैक्षणिक परिषद की पिछली बैठक के बाद से हुए कार्यनिष्पादन विवरणों को दर्शाते हुए एक पवार पॉइंट प्रस्तुतीकरण दिया, जिसे सदन ने नोट किया तथा इसपर अपनी प्रशंसा अभिलेखित की।

एसी:10:04	शैक्षणिक परिषद की दिनांक 21.05.2011 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त:

10.4.1 शैक्षणिक परिषद की दिनांक 21.05.2011 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त का पाठन किया गया तथा सदन ने इसकी पुष्टि कर ली।

एसी:10:05	**शैक्षणिक परिषद की दिनांक 21.05.2011 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ति कार्रवाई रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

10.5.1 शैक्षणिक परिषद की दिनांक 20.05.2011 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई का पठन किया गया तथा सदन द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

एसी:10:06	**शून्य सेमेस्टर मामलों की रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

10.6.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा कार्यसूची मद में रिपोर्ट किए गए चार (4) मामलों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एसी:10:07	**अनुचित साधनों के मामले की रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

10.7.1 सदन ने परीक्षा अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा कार्यसूची मद में रिपोर्ट किए गए दो मामलों के संबंध में ईडीसी द्वारा की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।

एसी:10:08	**परीक्षा पर अध्यादेश- "नए पाठ्यक्रमों" से संबन्धित खंड के प्रति संशोधन**

कार्यवृत्त:

10.8.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा कार्यकारी परिषद द्वारा इसपर अंतिम अनुमोदन हेतु इसकी अनुशंसा की।

एसी:10:09	**शिक्षण के माध्यम पर अध्यादेश के प्रति संशोधन**

कार्यवृत्त:

10.9.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा कार्यकारी परिषद द्वारा अंतिम अनुमोदन हेतु इसकी अनुशंसा की।

एसी:10:10	**परीक्षा अध्यादेश- छात्रों के पुनर्पंजिकरण से संबन्धित उपखंड के प्रति संशोधन**

कार्यवृत्त:

10.10.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा कार्यकारी परिषद द्वारा अंतिम अनुमोदन हेतु इसकी अनुशंसा की।

एसी:10:11	**परीक्षा अध्यादेश- डुप्लीकेट अंक-पत्रक आदि जारी किए जाने हेतु शुल्क प्रभारित करने से संबन्धित उप-खंड में संशोधन**

कार्यवृत्त:

10.11.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा कार्यकारी परिषद द्वारा अंतिम अनुमोदन हेतु इसकी अनुशंसा की।

एसी:10:12	**परीक्षा अध्यादेश- अनुचित साधनों पर परीक्षा अनुशासनिक समिति से संबन्धित नए उप-खंड के अनुप्रवेश पर संशोधन**

कार्यवृत्त:

10.12.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा कार्यकारी परिषद द्वारा अंतिम अनुमोदन हेतु इसकी अनुशंसा की।

एसी:10:13	**परियोजना/शोध-प्रबंध पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शन में संशोधन- अभिमुखीकरण कार्यक्रम से संबन्धित खंड की प्रस्तावना**

कार्यवृत्त:

10.13.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा कार्यकारी परिषद द्वारा अंतिम अनुमोदन हेतु इसकी अनुशंसा की।

एसी:10:14	**विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन हेतु भुगतान मानदंडों के प्रति संशोधन**

कार्यवृत्त:

10.14.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय परीक्षा के संचालन हेतु भुगतान मानदंडों के खंड 8 के विलोपन हेतु साथ ही कार्यसूची मद में यथाप्रस्तावित नए खंड7 के प्रतिस्थापन हेतु अनुशंसा की। अनुमोदन किए जाने के दौरान प्रो.अतुल शर्मा ने सुझाव दिया कि भुगतान मानदंडों की संरचना वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाए ताकि इसका अनुसरण आगे कुछ दिनों तक किया जा सके साथ ही इसके निर्माण का वैज्ञानिक आधार हो।

एसी:10:15	**एम फिल छात्रों के उन मामलों पर बर्ताव करने से संबन्धित मुद्दा, जिन्होंने 10 पॉइंट पैमाने में सीजीपीए 6 से कम अंक प्राप्त किया है।**

कार्यवृत्त:

10.15.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसपर विस्तृत चर्चा की। सदन ने सुझाव दिया कि रिपोर्ट की गई प्रकृति के मामले पर व्यवहार करने के लिए एक नियमन समिति होगी तथा नियमन समिति की रिपोर्ट को शैक्षणिक परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इसपर अध्यक्ष ने कहा कि नियमन समिति का गठन अगले सेमेस्टर से किया जाएगा। परीक्षा पर अध्यादेश में 5.5 एवं 6 से ऊपर के बीच सीजीपीए ग्रेड को पूर्णांक किए जाने के बारे में उल्लेख करते हुए एक खंड होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न उठे। सदस्य प्रो.बणिक ने पूछा कि 5.495 का सीजीपीए ग्रेड प्राप्त करने वाले किसी छात्र के मामले में कैसे व्यवहार किया जाएगा। इसपर यह स्पष्ट किया गया कि इसे 5.5 के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में किसी उच्चतर पूर्णांक की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदन ने उल्लेख किया कि संशोधन में ऐसी विषमताओं को ध्यान में रखी जाये।

10.15.2 सदन ने तत्पश्चात कार्यकारी परिषद द्वारा मुद्दे पर विचारार्थ अपनी अनुशंसा प्रदान की।

एसी:10:16	**सिक्किम सरकारी महाविद्यालयों के लिए निरीक्षण समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.16.1 सदन ने कार्यसूची पर विचार किया। कार्यसूची मद पर चर्चा के दौरान सम्मानित सदस्यों ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए:

10.16.2 प्रो.एमके दास ने इंगित किया कि सिक्किम में शैक्षिक संस्थानों से संबन्धित कुछ बौद्ध-विहार हैं, जो कि बुद्धिज़्म पर पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं, उन्होंने जानना चाहा कि क्या इन संस्थानों को सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया गया है। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि सिक्किम में कोई बौद्ध-विहार विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक उद्देश्य से सम्बद्ध नहीं है। प्रो.एमके दास ने आश्वस्त किया कि यदि उन्हें विश्वविद्यालय औपचारिक रूप से लिखे तो वे और अधिक विवरण देने में सक्षम होंगे। इसपर अध्यक्ष सहमत हुए।

10.16.3 माननीय सदस्य ने आगे कहा कि शायद बौद्ध-विहार इन पाठ्यक्रमों का संचालन नालंदा खुला विश्वविद्यालय अथवा कहीं अन्यत्र से सम्बद्ध होकर कर रहे हैं। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि इसपर विचार किया जाएगा। ऐसे विषयों का हल निकालने के लिए सदन ने सुझाव दिया कि सिक्किम विश्वविद्यालय को बुद्धिज़्म विभाग/ बौद्धिष्ठ अध्ययन हेतु केंद्र खोलना चाहिए, जिसमें नामांकन हेतु भारत एवं विदेश से वृहत संख्या में छात्र उपलब्ध हैं। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि

सदन के सुझावों पर विचार किया जाएगा। आगे यह भी कहा गया कि बुद्धिज़्म विभाग खोलने के लिए विश्वविद्यालय को संस्कृति मंत्रालय के साथ संपर्क करना चाहिए।

10.16.4 सिक्किम सरकारी महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु मद पर विचार किए जाने के दौरान प्रो.अतुल शर्मा ने जानना चाहा कि विश्वविद्यालय ने इन महाविद्यालयों को बिना निरीक्षण के किस प्रकार संबद्धता प्रदान किया है। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि ये महाविद्यालय पिछले 20 वर्षों से अधिक से अस्तित्व में हैं, और उनमें से कुछ को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी संबद्धता भी प्राप्त थी। जब सिक्किम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तब इन महाविद्यालयों की लचर व्यवस्था पर नजर गई, इसीलिए इन्हें अस्थाई संबद्धता प्रदान की गई है, वह भी इसे विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक आधार पर दी जा रही है।

10.16.5 सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को सिक्किम सरकार को विभिन्न निरीक्षण समितियों के निर्माण हेतु नामों की एक सूची के लिए पत्र लिखना चाहिए, जिस पर अध्यक्ष सहमत हुए।

10.16.6 सदन ने कुलपति को सदन के सुझावों के अनुसार एक निरीक्षण समिति का गठन करने एवं तदनुसार इसे कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

10.16.7 सम्मानित सदस्यगण, प्रो.एमके दास, डा. जीएस योंजोन एवं प्रो. नीलिमा देशमुख ने गठित की जाने वाली निरीक्षण समिति के प्रति उन्हें नामित किए जाने पर सहमति दी।

एसी:10:17	**नामची सरकारी महाविद्यालय हेतु निरीक्षण समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.17.1 सदन ने कुलपति को सदन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करते हुए एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं तदनुसार कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:18	सरकारी महाविद्यालय, रेनौक हेतु निरीक्षण समिति का गठन

कार्यवृत्त:

10.18.1 सदन ने कुलपति को सदन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करते हुए एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं तदनुसार कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:19	**सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय हेतु निरीक्षण समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.19.1 सदन ने कुलपति को सदन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करते हुए एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं तदनुसार कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:20	**सिक्किम सरकारी बीएड महाविद्यालय, सोरेंग हेतु निरीक्षण समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.20.1 सदन ने कुलपति को सदन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करते हुए एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं तदनुसार कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:21	**डंबर सिंह महाविद्यालय हेतु निरीक्षण समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.21.1 सदन ने कुलपति को सदन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करते हुए एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं तदनुसार कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:22	**पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय हेतु निरीक्षण समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.22.1 सदन ने कुलपति को सदन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करते हुए एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं तदनुसार कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:23	**हिमालयन फार्मेसी संस्थान हेतु निरीक्षण समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.23.1 सदन ने कुलपति को सदन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करते हुए एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं तदनुसार कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:24	**हर्क माया शिक्षा महाविद्यालय हेतु निरीक्षण समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.24.1 सदन ने कुलपति को सदन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करते हुए एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं तदनुसार कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:25	**लोयला शिक्षा महाविद्यालय हेतु निरीक्षण समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.25.1 सदन ने कुलपति को सदन द्वारा दिये गए सुझावों पर विचार करते हुए एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं तदनुसार कार्यकारी परिषद के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:26	**सरकारी महाविद्यालय, गेजिंग का संबद्धता हेतु आवेदन-पत्र**

कार्यवृत्त:

10.26.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसपर विस्तृत चर्चा की। अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि यद्यपि यह महाविद्यालय अस्थाई रूप से विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध है, परंतु नामांकित छात्रों का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि वीएमएसयू किसी महाविद्यालय को सम्बद्ध नहीं कर सकता है। प्रो.एमके दास ने पूछा कि औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के प्रति संबद्धता नहीं दी जानी चाहिए। सदन ने पूछा कि इन छात्रों के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय में संबद्धता के बाद नामांकित किए जाने पर कैसा व्यवहार किया जाएगा। इसपर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि विनायक मिशन के साथ उनके प्रथम सेमेस्टर को शून्य सेमेस्टर माना जाएगा, तथा वे बसंत सेमेस्टर 2012 से अपने अध्ययन की निरंतरता कायम रख सकते हैं। प्रो.अतुल शर्मा ने विश्वविद्यालय को निरीक्षण आरंभ करने का निर्देश दिया, ताकि सबकुछ व्यवस्थित पाए जाने पर महाविद्यालय बसंत 2012 से संबद्धता प्राप्त कर सके। प्रो.एमके दास निरीक्षण दल की प्रमुखता हेतु सहमत हुए, जो कि पाँच सदस्यों की एक समिति होगी तथा समिति अगस्त 2011 के अंतिम सप्ताह में निरीक्षण कार्य का संचालन कर सकती है। सदन ने सर्वसम्मति से अपनी यह भी राय दी कि राज्य सरकार के सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार छुट पाने, कथित महाविद्यालय को वीएमएसयू के साथ संबद्धता की अनुमति दिये जाने का अनुरोध मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नहीं माना जाना चाहिए, तथा विश्वविद्यालय को इस विंदु को भारत सरकार के साथ उचित रूप से उठाया जाना चाहिए।

एसी:10:27	**बी.फार्म में औषधीय विश्लेषण एवं गुणता आश्वासन पर नए पाठ्यक्रम की प्रस्तावना तथा एम.फार्म की तीन विद्याओं में नामांकन क्षमता में वृद्धि**

कार्यवृत्त:

10.27.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के नामांकन क्षमता में वृद्धि एवं नए पीजी प्रोग्राम की प्रस्तावना हेतु अनुरोध के सत्यापन के प्रति एक निरीक्षण दल गठित करे तथा निरीक्षण दल की अनुशंसाओं पर आधारित उचित कार्रवाई करे। सदन ने यह सुझाव भी दिया कि विश्वविद्यालय संबद्धतादाता विश्वविद्यालय से संपर्क किए बिना अथवा उस एआईसीटीई निरीक्षण दल में संबद्धतादाता विश्वविद्यालय से किसी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में नए पाठ्यक्रमों की स्वीकृति देने/ नामांकन क्षमता में वृद्धि करने में इनके द्वारा अनुसरण की गई पद्धति से एआईसीटीई को अवगत कराए, जिसने उपरोक्त उद्देश्य से एचपीआई में भ्रमण किया।

एसी:10:28	**लोयला शिक्षा महाविद्यालय का स्थायी संबद्धता हेतु आवेदन**

कार्यवृत्त:

10.28.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के स्थायी संबद्धता हेतु अनुरोध के सत्यापन के प्रति एक निरीक्षण दल गठित करे तथा निरीक्षण दल की अनुशंसाओं पर आधारित उचित कार्रवाई करे।

एसी:10:29	**लोयला शिक्षा महाविद्यालय द्वारा एमएड पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति हेतु अनुरोध**

कार्यवृत्त:

10.29.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के एमएड पाठ्यक्रम आरंभ करने के अनुरोध के सत्यापन के प्रति एक निरीक्षण दल गठित करे तथा निरीक्षण दल की अनुशंसाओं पर आधारित उचित कार्रवाई करे।

एसी:10:30	**भारत के बार कौंसिल द्वारा निरीक्षण**

कार्यवृत्त:

10.30.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय तत्काल इस मामले को भारत के बार काउन्सिल में उच्चतर स्तर पर किसी समाधान के लिए उठाए।

एसी:10:31	**पुस्तकालय समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.31.1 सदन ने कार्यसूची मद एवं पुस्तकालय समिति तथा संसाधन चयन उपसमिति के गठन पर विचार किया (शक्ति एवं कार्य, कार्यालय के कार्यकाल सहित)। तथा इसका अनुमोदन किया।

एसी:10:32	**द्वितीय शैक्षणिक परिषद के गठन तक कुलपति के प्रति शक्तियों का प्रत्यायोजन**

कार्यवृत्त:

10.32.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा नोट किया कि अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार कुलपति शक्तियों का उपयोग ऐसे समय तक एक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में कर सकते हैं, जबतक कि द्वितीय शैक्षणिक परिषद का गठन एवं इसका कार्यारंभ नहीं हो जाता है तथा अन्तरिम अवधि में उनके द्वारा की गई सभी कार्रवाई द्वितीय शैक्षणिक परिषद की प्रथम बैठक में रिपोर्ट नहीं कर दी जाती है।

एसी:10:33	**शिक्षण संकाय की भर्ती हेतु चयन समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.33.1 सदन ने कुलपति को स्थायी आधार पर विभिन्न शिक्षण पदों के प्रति भर्ती हेतु चयन समिति में नामों की एक सूची तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया। अध्यक्ष ने सदन से यह अनुरोध किया कि प्रथम शैक्षणिक परिषद के सदस्यगण भी इस सूची में समावेशन हेतु अपना नाम दें।

एसी:10:34	**प्रयोगशाला हेतु संहिताओं का निर्माण**

कार्यवृत्त:

10.34.1 सदन ने सुझाव दिया कि प्रयोगशाला संहिताएँ कई विश्वविद्यालयों के वैबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसे विश्वविद्यालय डाउन्लोड कर सकता है तथा इनके संगत प्रावधानों को अपनी प्रयोगशाला संहिताओं में अंतर्भुक्त करके उपयोग कर सकता है।

एसी:10:35	**सामान्य (पास) प्रोग्राम को सम्मान स्तर पर अपग्रेड करने का प्रस्ताव**

कार्यवृत्त:

10.35.1 सदन ने कार्यसूची मद पर गहराई से विचार किया एवं इसपर विस्तारपूर्वक चर्चा की। सम्मानित सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त विचारों का सार निम्नानुसार है:

10.35.2 प्रो.अतुल शर्मा ने सुझाव दिया कि ऐसे प्रोग्रामों को आनर्स में परिवर्तित किए जाने के लिए सिलेबस सहित अलग मानदंड होने चाहिए।

10.35.3 डा. जीएस योंजोन ने कहा कि वास्तव में सभी विभिन्न कारणों से आनर्स कोर्स नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए यदि विश्वविद्यालय सामान्य पास कोर्स को आनर्स कोर्स में परिवर्तित करने को इच्छुक है तो इस विंदु पर विचार किया जाना चाहिए।

10.35.4 डा. सीबी सुनवार, फ़ेलो अकादेमिक ने उल्लेख किया कि यदि विश्वविद्यालय पास कोर्स को आनर्स स्तर पर अपग्रेड करता है तो सिलेबस को पहले अपग्रेड किया जाना चाहिए।

10.35.5 अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को उपयुक्त रूप से सुग्राही बनाना होगा, ताकि महाविद्यालय इस परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि अपग्रेडेशन से पठन-पाठन प्रणाली में समरुपता आएगी।

10.35.6 सदन ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया तथा कुलपति को अगली आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

एसी:10:36	**लिम्बू भाषा में पीजी पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना**

कार्यवृत्त:

10.36.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं प्रो. तीस्ता बागछि ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय इन मामलों में भाषा पाठ्यक्रमों के युनेस्को मॉडल का अनुसरण करे। तत्पश्चात सदन ने कुलपति को इस संबंध में अगली कार्रवाई की पहल करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:37	**लेपचा भाषा में पीजी पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना**

कार्यवृत्त:

10.37.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं प्रो.तीस्ता बागछि ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय इन मामलों में भाषा पाठ्यक्रमों के युनेस्को मोडल का अनुसरण करे। तत्पश्चात सदन ने कुलपति को इस संबंध में अगली कार्रवाई की पहल करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:38	**भूटिया भाषा में पीजी पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना**

कार्यवृत्त:

10.38.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया एवं प्रो.तीस्ता बागछि ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय इन मामलों में भाषा पाठ्यक्रमों के युनेस्को माडल का अनुसरण करे। तत्पश्चात सदन ने कुलपति को इस संबंध में अगली कार्रवाई की पहल करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:39	**"एक बार के लिए शून्य सेमेस्टर छात्रों" के संबंध में सिलेबस में परिष्करण**

कार्यवृत्त:

10.39.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसका अनुमोदन किया।

एसी:10:40	**बी.कौम (सामान्य/आनर्स) हेतु क्रेडिट वितरण पैमाना में संशोधन**

कार्यवृत्त:

10.40.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा संशोधन को मानसून 2010 से पूर्वप्रभावी तौर पर अनुमोदित किया। सदन ने तदनुसार कार्यकारी परिषद में औपचारिक निकासी हेतु प्रस्तुतीकरण के लिए इसकी अनुशंसा की।

एसी:10:41	**सिक्किम विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग का खोला जाना**

कार्यवृत्त:

10.41.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसपर विस्तृत चर्चा की। यह सुझाव दिया गया कि प्रारम्भ में विश्वविद्यालय हिन्दी भाषा एवं साहित्य/ लोकप्रिय हिन्दी में एकीकृत प्रोग्राम लागू कर सकता है।

10.41.2 सदन ने तदनुसार कार्यसूची मद को कार्यकारी परिषद में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की।

एसी:10:42	**डीजीसीए द्वारा अनुमोदित वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरी पाठ्यक्रम की प्रस्तावना**

कार्यवृत्त:

10.42.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया। प्रो.अतुल शर्मा ने उल्लेख किया कि बहुत से बच्चे, जिन्होंने इस पाठ्यक्रम में नामांकन लिया था, पूरा नहीं कर सके। तथापि, ऐसे प्रोग्रामों को संचालित करने के लिए

विश्वविद्यालय में सुस्थापित सुविधाएं एवं संकाय वांछित हैं। सदन ने तदनुसार सलाह दी कि इस प्रस्ताव को विलंबित किया जाए।

एसी:10:43	**सरकारी महाविद्यालय, रेनौक में अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना हेतु अनुरोध**

कार्यवृत्त:

10.43.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया। प्रो.नीलिमा देशमुख ने सुझाव दिया कि अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना की अनुमति दिए जाने के पूर्व विश्वविद्यालय प्रथमतः महाविद्यालय द्वारा पूर्ववर्ती पाठ्यक्रमों के लिए की गई प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के बारे में सुनिश्चित करे, जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई थी। यह सलाह दी गई कि विश्वविद्यालय इस बारे में महाविद्यालय को लिखे।

10.43.2 तत्पश्चात, सदन ने कुलपति को उपरोक्त उद्देश्य से एक निरीक्षण समिति गठित करने एवं इनकी अनुशंसाओं पर आधारित तत्पश्चात अगली कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया।

एसी:10:44	**शिक्षण कर्मचारियों का गुणता आश्वासन एवं स्व-मूल्यांकन प्रारूप की प्रस्तावना**

कार्यवृत्त:

10.44.1 सदन ने स्वमूल्यांकन के प्रारूप एवं संबन्धित कार्यसूची मद का अध्ययन किया तथा संतोष जताया। सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय छः महीने की अवधि के बाद प्रगति की समीक्षा करे।

एसी:10:45	**महाविद्यालय, जिनने शासकीय निकाय/ परामर्शदायी समिति का गठन नहीं किया है**

कार्यवृत्त:

10.45.1 सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय संबन्धित महाविद्यालयों को बिना आगे विलंब के शासकीय निकाय/ परामर्शदायी समिति गठित करने के लिए लिखे।

समूह II- संपुष्टि वांछित मदें

एसी:10:46	**वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के साथ एमओयू**

कार्यवृत्त:

10.46.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसकी संपुष्टि की।

एसी:10:47	**राष्ट्रीय म्यूजियम संस्थान, नई दिल्ली के साथ एमओयू**

कार्यवृत्त:

10.47.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसकी संपुष्टि की।

एसी:10:48	**एक बार के लिए शून्य सेमेस्टर मामले**

कार्यवृत्त:

10.48.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा इसकी संपुष्टि की।

सूचनार्थ रिपोर्ट की गई मदें

एसी:10:49	**सिक्किम सरकारी विधि महाविद्यालय हेतु परामर्शदायी समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.49.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:50	**नामची सरकारी महाविद्यालय हेतु परामर्शदायी समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.50.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:51	**सरकारी महाविद्यालय, रेनौक हेतु परामर्शदायी समिति का गठन**

कार्यवृत्त:

10.51.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:52	**डंबर सिंह महाविद्यालय हेतु शासकीय निकाय का गठन**

कार्यवृत्त:

10.52.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:53	**बसंत व्याख्यान एवं पुस्तक विवेचना**

कार्यवृत्त:

10.53.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:54	**चतुर्थ स्थापना दिवस कार्यक्रम- एसपीआईसीएमएसीएवाई**

कार्यवृत्त:

10.54.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:55	**चतुर्थ स्थापना दिवस कार्यक्रम- हास्य कवि सम्मेलन**

कार्यवृत्त:

10.55.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:56	**चतुर्थ स्थापना दिवस कार्यक्रम- ई-शासन**

कार्यवृत्त:

10.56.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:57	**चतुर्थ स्थापना दिवस- अंतर-महाविद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता**

कार्यवृत्त:

10.57.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:58	**चतुर्थ स्थापना दिवस- अनुभवों की भागीदारी का कार्यक्रम**

कार्यवृत्त:

10:58.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:59	**चतुर्थ स्थापना दिवस- साऊने झारी**

कार्यवृत्त:

10.59.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट किया।

एसी:10:60	**चतुर्थ स्थापना दिवस- हमारे बीच मेधावी**

कार्यवृत्त:

10.60.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:61	**चतुर्थ स्थापना दिवस व्याख्यान एवं पुस्तक विवेचना कार्यक्रम**

कार्यवृत्त:

10.61.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:62	**संकाय सदस्यों की पाक्षिक मूल्यांकण बैठक**

कार्यवृत्त:

10.62.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:63	**आगंतुक संकाय की नियुक्ति**

कार्यवृत्त:

10.63.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया

एसी:10:64	**पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति**

कार्यवृत्त:

10.64.1 सदन ने कार्यसूची को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:65	**रजिस्ट्रार की नियुक्ति**

कार्यवृत्त:

10.65.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:66	**बसन्त 2011 परिणामों का विश्लेषण**

कार्यवृत्त:

10.66.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:67	**सिक्किम विश्वविद्यालय के पूर्व-छात्र संगठन का निर्माण**

कार्यवृत्त:

10.67.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:68	**छात्रों के नामांकन पर स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

10.68.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:69	**नए संकाय सदस्यों के आगमन पर स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

10.69.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:70	**पुस्तकालय पर स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

10.70.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:71	**प्रयोगशालाओं पर स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

10.71.2 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:72	**किराए के भवनों पर स्थिति रिपोर्ट**

कार्यवृत्त:

10.72.1 सदन ने कार्यसूची मद को अपने सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:73	**उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण**

कार्यवृत्त:

10.73.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया। प्रो.इफ़्तेखर अहमद ने उल्लेख किया कि सर्वेक्षण में उन विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या होगी, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन नहीं थे। यह कहा गया कि कई ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं, जो अन्य मंत्रालयों के द्वारा शासित होते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि सर्वेक्षण इन विश्वविद्यालयों के आंकड़े को किस प्रकार लेखा में लेगा।

10.73.2 प्रो.एमके दास ने सुझाव दिया कि पीएचडी कार्यक्रम का प्रत्येक विभाग सर्वेक्षण अनुसंधान में अंतर्भुक्त होना चाहिए।

10.73.3 सदन ने तत्पश्चात कार्यसूची मद को सूचनार्थ नोट किया।

एसी:10:74	**विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रति मेधावी अवार्ड प्रदान किया जाना**

कार्यवृत्त:

10.74.1 सदन ने मद को सूचनार्थ नोट किया तथा विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की मेधावी सेवा की पहचान करने में विश्वविद्यालय के प्रयासों की प्रशंसा अभिलेखित किया।

एसी:10:75	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय**

कार्यवृत्त:

10.75.1 सम्मानित सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

डा.जीएस योंजोन– विश्वविद्यालय को एक हंगामेदार सत्र का आयोजन करना चाहिए तथा इन सत्रों का उपयोग विकास हेतु इनपुट के तौर पर किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अपने स्वयं के एक प्रचार स्कन्ध की स्थापना पर विचार कर सकता है। यह छात्रों एवं कार्मिक सदस्यों के लाभार्थ एक आंतरिक पत्रिका के प्रकाशन पर भी विचार कर सकता है।

प्रो.एमके दास– मंगोलिया में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक साठ-गांठ की अत्यधिक संभावना है। सिक्किम विश्वविद्यालय को मंगोलिया में उच्चतर शिक्षण के कुछ अग्रणी संस्थानों के साथ समझदारी ज्ञापन में प्रवेश करना चाहिए।

प्रो.इफ़्तेखर अहमद– विश्वविद्यालय आडियो-विजुअल कार्यक्रमों के निर्माण पर विचार करे।

प्रो.नीलिमा देशमुख– विश्वविद्यालय को लोक प्रशासन साथ ही जीएसयू पर पाठ्यक्रम आरंभ करना चाहिए।

प्रो.अतुल शर्मा– विश्वविद्यालय को शीघ्र ही गणित विभाग आरंभ करना चाहिए। साथ ही यह जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी पर नए पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने पर विचार कर सकता है।

10.75.2 तत्पश्चात सदन द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया:

1. **प्रो. लामा की सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में द्वितीय कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव:**

   सदन ने माना है कि विश्वविद्यालय ने पिछले चार वर्षों के दौरान कई अवरोधों के वावजूद भी, प्रो.महेंद्र पी लामा, संस्थापक कुलपति के नेतृत्व में पर्याप्त प्रगति की है। सदन ने तीव्रता से अनुभव किया तथा अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय द्वारा सृजित आवेग को कायम रखने के लिए, साथ ही इसे और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रो. लामा की दूसरे कार्यकाल हेतु निरंतरता बनी रहे।(**अनुलग्नक**)

2. **व्यक्तिगत आक्रमण एवं विश्वविद्यालय के विरुद्ध मिथ्यापवाद अभियान की रिपोर्टों पर प्रस्ताव**:

   अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय में एक राजनैतिक पार्टी तथा किन्हीं निहित स्वार्थियों द्वारा, विशेषकर कुलपति एवं अन्य विश्वविद्यालय कार्मिकों के विरुद्ध व्यक्तिगत आक्रमण एवं मिथ्यापवाद अभियान की रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। सदन ने सिक्किम विश्वविद्यालय सदृश एक राष्ट्रीय संस्थान की मर्यादा को क्षति पहुंचाने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ लगाए गए अतार्किक आरोपों पर आधारित ऐसे सस्ते हथकंडों के विरुद्ध गहरा अफसोस व्यक्त किया। तत्पश्चात, सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उल्लेख किया गया कि सिक्किम सरकार अपनी कार्यालयी मशीनरी को उपयुक्त ढंग से विश्वविद्यालय भवन निर्माण परियोजना में संलग्न करे तथा अपनी शिकायतों का संवाहन उचित माध्यम से करे। सदन ने अपनी प्रतिबद्धता दुहराई कि सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम में छात्रों एवं युवा मानस के बीच क्षमता निर्माण तथा राज्य के समग्र वृद्धि एवं विकास के लिए राज्य में विशेषज्ञों, प्रोफेसनलों एवं अकाडमिशियनों को बहुतायत की संख्या में सृजित करने की दोनों विवेचित भूमिकाओं का निर्वहन करेगा। **(अनुलग्नक)**

[डॉ.ज्योति प्रकाश तामाङ]
कुलसचिव एवं सचिव,
शैक्षणिक परिषद